



सर्वजन पेंशन योजना



हर महीने की
5 तारीख
तक
मिल रहा
पेंशन
महीने की
शुरुआत में
ही होगा पेंशन
का भुगतान

पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त
राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त
वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ

राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ₹100 करोड़ के रिवाँल्विंग फंड का प्रावधान



पेंशन योजना लाभ हेतु अन्य जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना

- आयु प्रमाण पत्र संबंधित कोई दस्तावेज

मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना

- 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र की महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो के संदर्भ में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति
- 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की पारित्यक महिला, 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला के संदर्भ में मुखिया एवं पंचायत सचिव तथा शहरी/नगरीय क्षेत्र के लिए वार्ड वार्ड एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र, अथवा माननीय विधायक/सांसद, अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/अनुशांसा

स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

- दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र (18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल अथवा कॉलेज के प्रधानाचार्य/प्रिंसिपल का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)

HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना

- आवेदक के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी
- ART/ARD प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी में नियोजित परिवार को छोड़कर अन्य आदिम जनजाति परिवार के वयस्क विवाहित महिला को पूर्व की भांति "मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना" का लाभ मिलता रहेगा

- 01 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध
- 02 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला
- 03 05 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग
- 04 HIV/AIDS पीड़ित



यहां करें आवेदन :-

ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (BDO) तथा शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी (CO) को आवेदन समर्पित करें

नोट:-

- परिवार आयकर अदा नहीं करता हो
- आवेदक स्वयं या पति/पत्नी, केंद्र एवं राज्य सरकार या केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित/सेवानिवृत्त और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करनेवाला नहीं होना चाहिए